कार्यालय–उपनिदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।

पुरोला, दूरभाष एवं फैक्स नं0.01373-223433,Email- gwlspurola@gmail.com

पत्रांक 1270 / पुरोलाः दिनांक 4/3/2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकार,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून

विषय – **जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत सुपिन नदी पर प्रस्तावित (44 मे0वा0) क्षमता की जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु एसजेवीएन लिमिडेट को 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ– **भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 8बीं/यू.सी.पी. /01/146/2018/एफ.सी./1855 दिनांक 27.11.2020।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार है :–

1. **बिन्दु संख्या 1** प्रभागीय वन अधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला से सम्बन्धित है जिसका निस्तारण उनके द्वारा अपने पत्रांक – **1227/12–1,** पुरोला दिनांक **16.12.2020** द्वारा कर दिया गया है जिसकी प्रति संलग्न है।
2. **a.** जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु हस्तान्तरित होने वाली 22.067 है0 भूमि में प्रभावित वृक्षों की संख्या 1530 है जो कतिपय कारणों से अपलोड सूची में 1498 थी उसे संशोधित कर कर दिया गया है।

   b. वृक्षों की सूची आनलाईन पोर्टल पर एडिशनल डाक्यूमेंट में पुनः अपलोड कर दिया गया है।

   c. जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु हस्तान्तरित होने वाली 22.067 है0 भूमि में प्रभावित वृक्षों की संख्या 1530 है जो प्रति हे0 69 वृक्ष होती है, त्रुटिवस राज्य सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 20.06.2019 बिन्दु संख्या 06 के द्वारा पातन होने वाली वृक्षों की संख्या 69 दर्शायी गयी है जो कि प्रति है0 69 प्रभावित वृक्षों की संख्या होनी चाहिए तथा इसी के अधार पर वन घनत्व की गणना **NPV Calculation** के उद्देश्य के लिए की गयी है। प्रभावित होने वाली वृक्षों **lopping/chopping** होने वाले वृक्षों तथा कटान/पातन होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार एवं व्यासवार विवरण प्रेषित है तथा पार्ट–II के **additional document** में **upload** कर दिया गया है। टौन्स वन प्रभाग के अन्तर्गत 2.25 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण किया जाना प्रस्तावित है जिसमें कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है।
3. उक्त बिन्दु के para 8 (ii) में No उल्लिखित है, उसको त्रुटिवश No लिखा गया है, जिसे संशोधन कर Yes किया जाता है। जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावित सम्पूर्ण क्षेत्र गोविन्द वन्य जीव विहार (Govind Wild life Sanctuary) के अन्तर्गत आता है। सम्बन्धित जल विद्युत परियोजना गोविन्द वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क, के वन्य जीव विहार क्षेत्रान्तार्गत होने के कारण **NPV** की धनराशि मानक के 5 गुना जमा किया जाना होगा।

भवदीय

(कोमल सिंह)
उप निदेशक,
गोविन्द वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क
पुरोला, उत्तरकाशी

o1C

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

पत्रांक   /   समदिनांकित

1. निदेशक / वन संरक्षक, राजाजी टाईगर रिजर्व, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।
2. महा प्रबन्धक (परि0प्र0), जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना, गोरी उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।

(कोमल सिंह)
उप निदेशक,
गोविन्द वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क
पुरोला, उत्तरकाशी

O/C

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

फोन/फैक्स नं0–01373-223328
E-Mail:- dfotons –forest –uk@nic.in
वन मित्र कॉल सेंटर–9208008000

कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला

पंत्राक–1227 / 12-1 पुरोला,दिनांक, 16-12-2020।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण इन्द्रिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय– **जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत सुपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मेगावाट क्षमता की जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में। (FP/UK/HYD/22889/2016)**

सन्दर्भ– **भारत सरकार की पत्रांक सं0–8बी/यू0सी0पी0/01/146/2018/एफ0सी0/1855 दिनांक 27–11–2020।**

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा इस कार्यालय से सम्बन्धित बिन्दु संख्या 01 से मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराया जाता है कि जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए हस्तान्तरित होने वाली 24.217 है0 वन भूमि के क्षतिपूरक वनीकरण हेतु 50.00 है0 चयनित पुरोला प्रभाग में अवनत वन भूमि का उपयुक्तता प्रमाण पत्र इस कार्यालय के पत्र सं0–366/12–1 दिनांक 08.10.2020 के द्वारा प्रेषित किया जा चुका है, जिसका निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

क्र0सं0	वनीकरण हेतु चयनित स्थल का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)	स्थल निरीक्षण दिनांक
1	देवढुंग कक्ष सं0–03	10.00	04.07.2020
2	रतेड़ी कक्ष सं0–04	10.00	04.07.2020
3	जाख कक्ष सं0–13बी	10.00	01.07.2020
4	जाख कक्ष सं0–08बी	10.00	07.10.2020
5	रामा कक्ष सं0–04ए	10.00	07.10.2020

क्षतिपूरक वनीकरण स्थलों (सी0ए0 पैच) में उपस्थित वृक्षों की प्रजातिवार एवं गोलाईवार सूची के सम्बन्ध में अवगत कराया जाता है कि इस कार्य में अनावश्यक समय एवं श्रमशक्ति (Man power) लगेगा। इससे पूर्व भी इस तरह की प्रक्रियाओं में वृक्षों का गणना कार्य नहीं किया जाता रहा है। उपरोक्त क्षेत्र वन घन्तव के आधार पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है, जिनका वन घन्तव 0.4 से कम है।

अतः उपरोक्त क्षेत्र को वन घन्तव के आधार पर ही संस्तुति की जाती है।

भवदीय,

(सुबोध कुमार काला)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टौन्स वन प्रभाग पुरोला।

प्रतिलिपि– 1. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. महा प्रबन्धक/परियोजना प्रमुख जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना मोरी उत्तरकाशी।

(सुबोध कुमार काला)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टौन्स वन प्रभाग पुरोला।

Scanned with CamScanner